

सूक्ष्म सिंचन पद्धती अंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन मार्गदर्शक सूचना

(प्रकल्प उपक्रम सांकेतांक- A3.7.1 व A3.7.2)

प्रस्तावना:

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर विपरीत परिणाम दिसून येत असून, भविष्यात देखिल सदर परिणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या दुष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू-गर्भातील पाणीसाठयावर व जमिनीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी शेतीमधील पिकांची उत्पादकता घटत आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच पूर्णा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा निसर्गतःच क्षारपड असल्याने शेतीसाठी सिंचनास मर्यादा येत आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अल्प भू-धारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनामार्फत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.

केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ मध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रती थेंब अधिक पिक (Per Drop More Crop) केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यासाठी, कार्यात्मक मार्गदर्शक सूचना (Operational Guidelines) निर्गमित केलेल्या आहेत, तसेच राज्य शासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत, सदर योजनेच्या धर्तीवर नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना (ठिबक व तुषार सिंचन) राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने प्रकल्पांतर्गत प्रथम टप्प्यातील निवडलेल्या गावामध्ये सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन) हा मंजूर घटक राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

उद्दिष्टे:

१. प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
२. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोत्पादन पिकांचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीस चालना देणे.
३. कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादनाची गुणवत्ता आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
४. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

लाभार्थी निवडीचे निकष :

1. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन या योजनासाठी अत्यल्प व अल्प भूधारकांची अनुक्रमे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग शेतकरी व सर्वसाधारण या प्राधान्यक्रमानुसार लाभार्थी निवड करण्यात येईल.
2. शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी, सामुहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबधितांचे करारपत्र आवश्यक.
3. उपलब्ध सिंचन स्रोतातील पाण्याचा विचार करून तेवढ्या क्षेत्रासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देय आहे.
4. विद्युत पंपाकरिता कायमस्वरूपी जोडणी आवश्यक.
5. ज्या पिकाकरीता संच बसविण्यात येणार आहे त्या पिकांची नोंद ७/१२ च्या उताऱ्यावर क्षेत्रासह असावी. (७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद नसल्यास कृषि पर्यवेक्षक यांनी पिक लागवडीचे प्रमाणपत्र द्यावे)

समाविष्ट बाबी -

1. टिबक सिंचन (इनलाईन, आऊटलाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट)
2. तुषार संच (सूक्ष्म तुषार सिंचन, मिनी तुषार सिंचन, हलविता येणारे तुषार सिंचन, मिस्टर, रेनगन, सेमि परमनंट इरिगेशन सिस्टिम)

अर्थसहाय्य:

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थींना शासनाने निर्धारित केलेल्या आर्थिक मापदंडानुसार ५५% अनुदान देय आहे.

अ. टिबक सिंचनकरिता अनुदान परीगणीत करण्यासाठी खर्च मर्यादा (रक्कम रुपयात)-

| अ.क्र | लागवडीचे अंतर गट (मी. x मी.) | ०.४ हेक्टर | १ हेक्टर | २ हेक्टर |
|-------|------------------------------|------------|----------|----------|
| १ | १२ x १२ | १५८५३ | २१६४३ | ३४४१७ |
| २ | १० x १० | १६४१९ | २३०४७ | ३७१७१ |
| ३ | ९ x ९ | १६८२६ | २४०३५ | ३९१४५ |
| ४ | ८ x ८ | १७३५१ | २५३३२ | ४१६५० |
| ५ | ६ x ६ | १९०९६ | ३०५३४ | ५१०४५ |
| ६ | ५ x ५ | २०६७४ | ३४६६४ | ५९१५४ |
| ७ | ४ x ४ | २१४१४ | ३६५६२ | ६४०८४ |
| ८ | ३ x ३ | २३०५५ | ४२०३४ | ७२७५९ |
| ९ | २.५ x २.५ | ३११५६ | ६००६५ | १०९३४५ |
| १० | २ x २ | ३६३५८ | ७३१३८ | १४१९५७ |
| ११ | १.५ x १.५ | ४१३६९ | ८५६०३ | १६३१३७ |
| १२ | २.५ x ०.६ | ३०८१० | ६३१४५ | ११६०४२ |
| १३ | १.८ x ०.६ | ३७८४५ | ८०५९९ | १५२५५१ |

ब. तुषार सिंचन संचाकरिता खर्च मर्यादा -

अनुदान परिगणनेसाठी तुषार सिंचन संच उभारणीसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा (रुपये)

चल सिंचकलर (पोर्टेबल)

| क्षेत्र (हे.) | ६३ मी. मी | ७५ मी. मी |
|------------------|-----------|-----------|
| १.०० हे. पर्यंत | १९५४२ | २१९०१ |
| १.०० ते २.०० हे. | २८२१३ | ३१३७२ |

सेमी पर्मानेंट इरिगेशन सिस्टिम-

| क्षेत्र (हे.) | खर्च मर्यादा (रुपये) |
|----------------|----------------------|
| ०.४ हे. पर्यंत | २२५५७ |
| १.०० हे. | ३६६०७ |
| २.०० हे. | ६९८०४ |

मायक्रो सिंचकलर खर्च मर्यादा रक्कम (रुपये)-

| क्षेत्र (हे.) | मायक्रो सिंचकलर | |
|---------------|------------------|-------------------|
| | अंतर (५ x ५) मी. | अंतर (३ x ३) मी . |
| ०.४० | २९६१६ | ३४६३७ |
| १.०० | ५८९३२ | ६७२२१ |
| २.०० | १०३५८१ | १२११३८ |

मिनी सिंचकलर खर्च मर्यादा रक्कम (रुपये)-

| क्षेत्र (हे) | मिनी सिंचकलर | |
|--------------|--------------------|------------------|
| | अंतर (१० x १०) मी. | अंतर (८ x ८) मी. |
| ०.४० | ४१३६३ | ४३०२३ |
| १.०० | ८५२१२ | ९४०२८ |
| २.०० | १६००१३ | १७०११८ |

लार्ज व्हालूम सिंचकलर इरिगेशन सिस्टिम (रेनगन)

| क्षेत्र (हे.) | ६३ मी. मी | ७५ मी. मी |
|---------------|-----------|-----------|
| १.०० हे. | २८६८१ | ३४५१३ |
| २.०० हे. | लागू नाही | ४३७८६ |

(संदर्भ:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०१७-१८ व राज्य शासनाच्या प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - सन २०१८-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना)

लाभार्थी

१. इच्छुक शेतकऱ्यांनी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेत स्थळावर समूह सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करावी व ग्राम कृषि संजीवनी समिती (VCRMC) कडे विहित नमुन्यात (प्रपत्र-१ अ व ब) आवश्यक कागदपत्रासहित अर्ज व हमीपत्र सादर करावे.
२. शेतकऱ्यांने आवश्यक सिंचन स्रोतातील उपलब्ध पाण्याचा विचार करून तेवढ्याच क्षेत्राकरिता लाभ घेता येईल.
३. पूर्वसंमती पत्रासोबत दिलेल्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे साहित्य वापरणे बंधनकारक राहिल.
४. आवश्यक सामुग्री उपलब्ध करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहिल. तसेच कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम (अग्रीम) मिळणार नाही.
५. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत मान्यता दिलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनीमधून त्यांच्या पसंतीच्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनी अथवा त्यांचे प्राधिकृत विक्रेते/वितरक यांचे कडून सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करावी व संच कार्यान्वीत करून घ्यावा.
६. सुक्ष्म सिंचन संच प्रकल्प स्थळी स्थापित केल्यानंतर संबंधित कृषि सहाय्यक यांना कळविणे.
७. देय अनुदान मिळणेसाठी मागणीपत्र (प्रपत्र-४ अ व ब) संबंधित कृषी सहाय्यका मार्फत उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या नावे सादर करावे.

अनुदान प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे -

१. शेतकऱ्यांने केलेला अर्ज व हमीपत्राची प्रत
२. पूर्वसंमती पत्र
३. ७/१२ उतारा (मालकी हक्कासाठी)
४. ८-अ उतारा (एकुण क्षेत्राच्या माहितीसाठी)
५. पाणी व मृद तपासणी अहवाल
६. जातीचा/दिव्यांग असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याचा दाखला
७. कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला सुक्ष्म सिंचन आराखडा व प्रमाणपत्र
८. भौगोलीक स्थानांकन (Geo tagging) पध्दतीने शेतकरी व तपासणी अधिकारी समवेत संचाचे अक्षांश/रेखांशसह फोटोची प्रत.
९. विक्रेते/वितरक यांचेकडील बिलांची मुळ प्रत (टॅक्स इनव्हाईस)

ग्राम कृषी संजीवनी समिती (VCRMC)

१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱ्यांचे घटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून घ्यावेत.
२. प्राप्त सर्व अर्ज व सादर केलेली कागदपत्रे कृषी सहाय्यक यांचे मदतीने छाननी करून अर्जाची अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग शेतकरी व सर्वसाधारण या प्राधान्यक्रमानुसार लाभार्थी निवड करावी.

३. इच्छुक लाभार्थ्यांचे प्राप्त अर्जाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत निर्णय घेऊन अपात्र अर्जदारांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत करावे.
४. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकांतर्गत बाबींचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे.

समूह सहाय्यक

१. इच्छुक लाभार्थी शेतक-यांना प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी व अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शन व मदत करावी.
२. शेतक-यांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतक-यांने सादर केलेली कागदपत्रे कृषि सहाय्यक यांचे मदतीने छानणी करून अर्जाची प्रवर्गनिहाय वर्गवारी तपासावी.
३. उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडून प्राप्त पूर्वसंमती पत्रांच्या नोंदी ठेवणे. शेतक-यांस योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच ठिबक/तुषार याबाबतचे आराखडे व तांत्रिक निकष समजावून सांगावे.
४. शेतक-यांच्या शेतात संच बसविल्यावर संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना तपासणीसाठी अवगत करावे.
५. लाभार्थी शेतकरी व तपासणी अधिकारी यांचे समवेत सूक्ष्म संचाचे शेताच्या नैऋत्य बाजूवरून अक्षांश/रेखांश सह फोटो काढावेत. सदरचे फोटो प्रकल्पाच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड करावेत. (स्थळ पहाणी व मोका तपासणीच्या वेळेस)

कृषि सहाय्यक

१. कागदपत्रांची छानणी करताना शेतक-यांचे विहित नमुन्यातील अर्ज, शेतक-यांच्या मालकी हक्काचा ७/१२ व ८-अ उतारा, यापूर्वी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय, यापूर्वी लाभ घेतलेला असल्यास कोणते क्षेत्र, प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे संवर्ग प्रमाणपत्र (अ.जा.व अ.ज. शेतक-यांसाठी) आहे काय, इत्यादी व इतर सर्व अनुषंगीक बाबी तपासाव्यात.
२. पात्र लाभार्थींच्या नियोजित क्षेत्राची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सर्व गट/सर्वे नं. मध्ये पाहणी करून सिंचनाच्या सुविधा, कायमस्वरूपी विद्युत जोडणी व इतर बाबी आहेत/नाहीत याबाबत तपासणी करावी आणि नियोजित प्रकल्प स्थळ सदर घटकासाठी योग्य आहे किंवा नाही याबाबत लेखी अहवाल सोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात (प्रपत्र-२) उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
३. शेतक-यांने कार्यक्षेत्रात सिंचन संच कार्यान्वित झाल्याचे कृषि सहाय्यकांना अवगत केल्यावर १०० टक्के मोका तपासणी करावी.
४. मोका तपासणी वेळी मार्गदर्शक सुचनांमधील Annexure-IV a ते Annexure- IV c मध्ये देण्यात आलेल्या Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities आणि Annexure-V ते Annexure-IX मध्ये देण्यात आलेल्या Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Raingun Sprinkler Irrigation System तरतुदी व मानांकनानुसार शेतक-यांने उपकरणे बसविलेली आहेत यांची खातरजमा करावी.

- शेतकऱ्याच्या प्रकल्प स्थळावर सुक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर शेतकरी समवेत संचाचे शेताच्या नैऋत्य बाजूवरून अक्षांश/रेखांश सह फोटो काढून मोका तपासणी अहवाल पुढील तपासणी करिता संबधित कृषि पर्यवेक्षक तसेच उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करावा (प्रपत्र ५ अ व ब).

कृषि पर्यवेक्षक

- कृषि पर्यवेक्षकानी आपल्या कार्यक्षेत्रात बसविलेल्या एकूण संचापैकी २५ टक्के संचाची अनुदान अदायगीपूर्वी तपासणी करावी व तपासणी अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावेत.
- कृषि पर्यवेक्षकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर १० दिवसाच्या कालावधीत संचाची तपासणी करून पर्यवेक्षकीय तपासणी अहवाल सादर करावा. कृषि पर्यवेक्षकांनी पर्यवेक्षक तपासणीचे प्रपत्र भरून लाभार्थीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभार्थीचे नाव नमूद करावे (प्रपत्र-६, ६ अ व ब).
- कार्यक्षेत्रातील सर्व वितरकांच्या कंपनीकडून आलेले साहित्य व शेतकऱ्यांना विकलेले साहित्य याची पडताळणी मागील महिन्यातल्या साठा नोंदवहीवरून प्रत्येक महिन्याला तपासावी व संबधित सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अनुदान अदायगी करिता शिफारशीसह उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना सादर करावेत.

उपविभागीय कृषि अधिकारी

- लाभार्थी शेतकऱ्याने योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर कागदपत्रांची छानणी व स्थळ तपासणी अहवाल विचारात घेवून अर्जाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा व अपात्र असल्यास लाभार्थीस कारणासहित नमूद करावे.
- अर्ज सादर केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी विहित प्रपत्रात पुर्व संमती (प्रपत्र-३) दयावी व सोबत खरेदीची प्रक्रिया, तांत्रिक निकष व देय अनुदान याबाबत अवगत करावे.
- लाभार्थी शेतकऱ्याने अवगत केल्यानंतर कृषि सहाय्यक/ कृषि पर्यवेक्षक यांचेकडून तपासणी पूर्ण करून घ्यावी.
- अनुदान प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पासाठीचे कृषि पर्यवेक्षक यांनी सादर केलेला अनुदान प्रस्ताव तपासून सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात (प्रपत्र-६, ६ अ व ब) पडताळणी अहवाल तयार करावा.
- अनुदानाची परिगणना करून लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम DBT द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी.
- उपविभागांतर्गत राबविलेल्या घटकांपैकी ३% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगीपूर्वी तपासणी करावी.
- केंद्र शासनाने दोन ओळी व दोन रोपांमधील अंतरासाठी क्षेत्रनिहाय ठिबक संचाच्या लॅटरलच्या क्षेत्रनिहाय संचासाठी अंतरानुसार सूचक साहित्य गरज (Indicative Material Requirement)

आधारे संच उभारणी करून वितरकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली बिले देय अनुदानासाठी ग्राह्य धरावीत.

८. शासनाने निर्धारित केलेल्या विविध लॅटरल अंतरासाठी निश्चित केलेल्या संच उभारणी खर्च मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त किंमतीचे बिल असेल तर घटकांची खात्री करून बिलाच्या रक्कमेवर अनुदानाची परिगणना करावी.
९. वितरक शेतकऱ्यांना सूक्ष्म संच साहित्य खरेदीचे जे बिल देतील त्या बिलावर प्रत्यक्ष दराबरोबरच कंपनीने शासनास कळविलेले दर सुद्धा नमूद करणे बंधनकारक करावेत जेणेकरून शेतकऱ्यांना कंपनीचे मुळ दरही अवगत होतील.

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी:-

१. जिल्ह्यामध्ये उपविभाग स्तरावर लाभार्थी निवड व अनुदान अदायगी यासह सर्व कार्यवाही मार्गदर्शक सूचनेनुसार होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
२. उपविभाग स्तरावर झालेल्या कामांची किमान १% तपासणी करावी व विहित प्रपत्रात अहवाल सादर करावा.
३. उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना आवश्यकतेनुसार निधी वितरण करावे व घटकाची अंमलबजावणी पारदर्शक पध्दतीने होईल याची जिल्हास्तरावरून खातरजमा करून सनियंत्रण करावे.
४. शासन/कृषि आयुक्तालयस्तरावरून सन २०१८-१९ मध्ये नोंदणी व नुतनीकरणास मान्यता दिलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्यांची जिल्हा स्तरावरून सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठा करणेसाठी नोंदणी करावी.
५. नवीन व जुन्या विक्री पश्चात सेवा, गुणवत्ता नियंत्रण तपासणी तसेच इतर बाबी या संदर्भीय मार्गदर्शक सूचनेनुसार लागू राहतील.
६. जिल्ह्यातील प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमाचे गावनिहाय मंजूर आराखड्यानुसार व वार्षिक कृती आराखड्यानुसार संपूर्ण भौतिक व आर्थिक सनियंत्रण करावे.
७. सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केलेल्या लाभार्थ्याला विक्री पश्चात सेवा मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबधित विक्रेता/वितरक व कंपनीवर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करावी. सदर दंडात्मक कारवाईचा अहवाल शिफारशीसह कृषि आयुक्तालयास सादर करावा व त्याची प्रत ना.दे.कृ.स.प्र. कार्यालयास सादर करावी.

कंपनी व वितरकांसाठी सुचना

१. कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या विक्रेते/वितरकांना जिल्हास्तरावरून सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठा करणेसाठी नोंदणीस मान्यता देण्यात येईल.
२. वितरकांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बिलाच्या सर्व प्रतीवर शेतकरी/प्रतिनिधीच्या स्वाक्षरी घेऊन प्रत मिळाल्याची शेतकऱ्यांची नावासह स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच सदरच्या

बिलाच्या तीन प्रती करुन एक प्रत प्रस्तावासाठी, एक प्रत शेतकऱ्यास व एक प्रत वितरकाने स्वतःच्या दफ्तरी ठेवावी.

- शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार उत्पादक कंपन्यांना त्यांचे स्वतःचे दरपत्रक लागू करण्यास आणि त्यानुसार बिलिंग करावे. त्यामुळे वितरक शेतकऱ्यांना ठिबक/तुषार सिंचन संच साहित्य खरेदीचे जे बिल देतील त्या बिलावर प्रत्यक्ष दराबरोबरच कंपनीने शासनास कळविलेले दर सुध्दा नमुद करणे वितरकांना बंधनकारक राहिल जेणे करुन शेतकऱ्यांना कंपनीचे मुळ दरही अवगत होतील.

| अ. क्र. | सूक्ष्म सिंचन संच घटक / साहित्याचा प्रकार | बॅच क्रमांक | सीएमएल क्रमांक | आकार | मीटर / संख्या | कंपनीने शासनास सादर केलेले दर | प्रत्यक्ष दर | रक्कम |
|---------|---|-------------|----------------|------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|
|---------|---|-------------|----------------|------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|

- वितरकाने शेतकऱ्यांचे शेतावर संच बसविल्यानंतर विक्रीपश्चात सेवा पुरवाव्यात व संचाची निगा घेणेबाबत मार्गदर्शन करावे.
- कंपनीच्या तज्ञ प्रतिनिधीने (Technical Representative) अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेताचे सर्वेक्षण करुन पिकाच्या दोन ओळीमधील अंतर, दोन रोपामधील अंतर, पिकनिहाय पाण्याची गरज, माती व पाणी परिक्षण अहवाल तसेच ज्या क्षेत्रावर संच बसवावयाचा आहे त्या क्षेत्राचे चारही बाजूंचे जीपीएस (GPS) व्दारे सर्वेक्षण करुन सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा तयार करावा.
- सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा ग्राफ पेपरवर असावा. आराखडा "तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व आर्थिकदृष्ट्या किफायतशिर" असल्याचे प्रमाणपत्र कंपनीच्या तज्ञ प्रतिनिधीने द्यावे. कंपनीने/ कंपनी प्रतिनिधीने सदरचा आराखडा संबंधित शेतकऱ्यास द्यावा.
- संबंधित कंपनी प्रतिनिधी व त्यांचे वितरकाने तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आराखड्याप्रमाणे संच बसविण्याची कार्यवाही पुर्ण करावी. संचातील घटक हे केंद्र शासनाने विहित केलेल्या बी.आय.एस. (BIS) दर्जाचे असणे बंधनकारक राहिल. वितरकाने सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबविण्यासाठी कृषि विभागातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करणे, वेळोवेळी मागीतलेली माहिती तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या बिलाच्या स्वाक्षरीत/छायांकित प्रती व इतर आवश्यक कागदपत्रे वितरकाने विहित मुदतीत देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहिल.
- शेतकऱ्यांच्या शेतावर कंपनीमार्फत बसविलेल्या ठिबक सिंचन संचाच्या घटकामध्ये ३ वर्षांच्या कालावधीत काही उत्पादन दोष आढळून आल्यास तो सुस्थितीत करुन देण्याची (Performance Warrantee) जबाबदारी वितरक/विक्रेता व कंपनीची राहिल.
- तीन वर्षांपर्यंत विक्री पश्चात सेवा देणे कंपनीवर बंधनकारक राहिल. लाभार्थी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संचामध्ये उत्पादन दोष/कार्यक्षमते संदर्भात काही तक्रार असल्यास, शेतकऱ्यांना तक्रार करता यावी याकरीता वितरकाने माहिती पुस्तकाबरोबर टोल फ्री क्रमांकही उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहिल.

सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना

१. प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेतर्गत अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी उपविभाग स्तरावर योजनेस व्यापक प्रसिध्दी देण्यासाठी गावासमूहामध्ये भिंतीपत्रके ग्राम पंचायतीचे नोटीस बोर्डवर लावण्यात यावीत. तसेच वेळोवेळी गावस्तरावर होणा-या बैठका/मेळावे/भेटीद्वारे सदर प्रकल्प घटकाचा प्रचार करण्यात यावा.
२. विद्युत पुरवठा, चारी खोदणे, ओव्हरहेड टँक, इंजिन/ विद्युत पंप, पॅनेल, विद्युतीकरणाचे काम इ. बाबीकरिता येणारा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतः करावा. सदर अनुषंगिक बाबीसाठी अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.
३. फिटींग्ज व अॅक्सेसरीज सेटमध्ये टी, एल्बो, रिड्युसर, फिमेल थ्रेडेड अडाप्टर, मेल थ्रेडेड अडाप्टर, एन्ड कॅप, नट बोल्टसह फ्लॅन्ज, सर्किस सॅडल, बेन्ड, जीआयएन निपल, टालफॅन टॅब, पीव्हीसी सेन्ट्रल जॉईंट इ. बाबींचा खर्च एकूण खर्चामध्ये समाविष्ट आहे. त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष संच उभारण्यासाठी साहित्य वापराप्रमाणे बिले घेण्यात यावीत.
४. मुख्य पीक व आंतरपिकांत संच बसविला असल्यास शेतकऱ्याच्या पसंतीनुसार एकाच पिकास, लॅटरल अंतर गटाच्या निर्धारित खर्च मर्यादाप्रमाणे देय असलेले अनुदान देण्यात येईल.
५. सूक्ष्मसिंचन या घटकाचा संकल्प आराखडा व प्रमाणपत्र (Annexure-I) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
६. सूक्ष्मसिंचन या घटकाचा क्षेत्रीय तपासणी मासिक प्रगती अहवाल (Annexure-II) व मासिक प्रगती अहवाल (Annexure-III) या प्रपत्रात नियमित सादर करण्यात यावा.
७. तुषार सिंचन संचाच्या पाईपवर एम्बॉसींग -
लाभधारक शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष संचाची तपासणी करताना तुषार सिंचन संच दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडून आणला जाऊ नये व त्यामुळे एका संचावर दोन वेळा अनुदान दिले जाऊ नये म्हणून तुषार संचाचे पाईपच्या जोडावर, फिमेल पार्टवर एम्बॉसींग करून पुढीलप्रमाणे मजकूर लिहावा "शेतकऱ्याचे नाव, गाव, संच बसविल्याचे वर्ष व सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनी". सदरचा मजकूर ठळकपणे व सहजपणे वाचता (normal eyesight) येईल असा सुस्पष्टपणे वितरकाकडून संच हस्तांतरीत करण्यापुर्वी कोरून टाकण्यात यावा. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मोका तपासणीच्या वेळी खात्री करावी व त्याची नोंद मोका तपासणी अहवालात घ्यावी.
८. गुणवत्ता नियंत्रण -
टिबक/तुषार सिंचन संच घटकांचे साहित्य बी.आय.एस. (BIS) दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादक व पुरवठादारास नोंदणीस आणि सूक्ष्म सिंचन योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचनाची कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बीआयएस या संस्थेकडून प्रमाणपत्र धारकाचे नमुने घेतले जात असतात व गुणवत्ता नियंत्रणाची काळजी घेतली जाते. कृषि विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत सुध्दा नमुने काढून तपासणी करवून घेण्याची कार्यवाही गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे. गुणवत्ता नियंत्रण, वितरक स्तरावर ठेवावयाची साठा नोंदवही, विक्री पश्चात सेवा केंद्राची तपासणी,

वितरकांनी सूक्ष्म सिंचन घटकांचा सादर करावयाचा मासिक अहवाल, शासनास जमा केलेल्या वस्तू व सेवाकरांची माहिती, सूक्ष्म सिंचन घटकांचा वितरक निहाय अहवाल, शेतकऱ्यांना विक्री केलेल्या सूक्ष्म सिंचन घटकांचा तपशील, नमुना तपासणी नोंदवही, नमुना काढण्याच्या पद्धती, तपासणीसाठी पाठविलेल्या वस्तूंचा तपशील इ. बाबींसाठी स्वतंत्र कार्यवाही करावयाची नसून कृषि आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पत्र जा. क्र. कृआआ २०१८/सुसिंचो/प्र.मं.कृ. सिंचो.प्र.मा./प्र.क्र.०५/२०१०/फलो-४, दिनांक-३० जून, २०१८ व त्यानुषंगाने निर्गमित झालेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करावयाची आहे.

टिबक व तुषार सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी बाबत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व त्यामध्ये वेळोवेळी होणारे बदल लागू राहतील.

प्रपत्र -१ (अ)
प्रकल्पांतर्गत लाभासाठी निवड होणेकरिता अर्ज व हमीपत्र
जागतिक बँक अर्थसहाय्यित
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प

(प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा)

प्रति,

मा. अध्यक्ष, ग्राम कृषि संजीवनी समिती (अर्जदाराचे गाव)
 गावसमूह क्रमांक.....तालुका जिल्हा

महोदय,

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मी, माझ्या मालकीहक्काचे शेत जमिनीमध्ये हवामान बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुंतवणूक करणेस तयार आहे, त्याकरिता या प्रकल्पांतर्गत खालील घटकाचा लाभ मिळावा, ही विनंती.

मागणी केलेल्या घटकाचे नाव-.....

घटकाचा तपशील^१:-.....

| अ.क्र. | बाब | तपशील |
|--------|---|---|
| १. | अर्जदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण नाव | (आडनाव) (प्रथम नाव) (वडीलाचे नाव) |
| २. | पूर्ण पत्ता | घर क्र. गल्ली क्र./भागाचे नाव गाव..... पोस्ट..... तालुका..... जिल्हा..... पिन क्र.- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| ३. | भ्रमणध्वनी क्रमांक- ^२ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| ४. | स्त्री/पुरुष(लागू असेल तेथे √ अशी खूण करावी) | स्त्री <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> |
| ५. | जात प्रवर्ग(लागू असेल तेथे √ अशी खूण करावी) | <input type="checkbox"/> अ.जा. <input type="checkbox"/> अ.ज. <input type="checkbox"/> इतर |
| ६. | अर्जदार दिव्यांग आहे काय?(लागू तेथे √ खूण करावी) | होय <input type="checkbox"/> नाही <input type="checkbox"/> |

^१ या मध्ये अनुदान मागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हरितगृहाचा/शेडनेटचा आकार, फळबाग लागवड असल्यास फळपिक नाव, क्षेत्र इ. तसेच ठिबक, तुषार असल्यास- पिकाचे नाव-क्षेत्र इ. तपशील नमूद करावा.

^२ प्रकल्पाच्या विविध घटकातील माहितीची देवाण-घेवाणीसाठी भ्रमणध्वनी क्रमांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापर करण्यास माझी सहमती आहे.

| | | |
|-----|---|--|
| ७. | दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र. ^३ . | <input type="text"/> |
| ८. | आधारकार्ड क्र. ^४ | <input type="text"/> |
| ९. | स्वतःच्या नावावरील एकूण क्षेत्र (८-अ प्रमाणे) | खाते क्र..... एकूण जमिनधारणा <input type="text"/> हेक्टर) <input type="text"/> (आर) |
| १०. | आरटीजीएस सुविधा असणाऱ्या बँकेचे नाव | |
| | खाते क्रमांक- | <input type="text"/> |
| | बँकेची शाखा- | |
| | आयएफएससी कोड- | <input type="text"/> |
| ११. | घेत असलेली पिके- | |
| १२. | ज्या क्षेत्रावर घटक राबविणार आहे त्या क्षेत्राचा सर्व्हे क्रमांक- | |
| १३. | यापूर्वी याच घटकाचा लाभ आपण अथवा आपल्या कुटुंबातील ^५ अन्य सदस्यांनी या किंवा इतर योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ घेतलेली योजना, अनुदान रक्कम व लाभ घेतलेचे वर्षे इ.तपशील . | |
| १३. | मागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अंदाजित खर्च. | रक्कम रुपये..... |
| १४. | निकषानुसार अपेक्षित अनुदान | रक्कम रुपये..... |
| १५. | अनुदान वजा जाता उर्वरित रक्कम कशा प्रकारे उभारणी करणार ? (लागू असेल तेथे ✓ अशी खूण करावी) | स्वतः <input type="text"/> बँक कर्जाद्वारे <input type="text"/> |

सदर घटकासाठी माझी निवड झाल्यास आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून विहित मुदतीत प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तसेच प्रकल्प आधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक देखरेखीखाली काम पूर्ण करीन व त्यानंतरच मला अनुदान देय राहिल. तसेच सदरचे काम मी विहित मुदतीत व मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे पूर्ण न केलेस अनुदान मिळणार नाही, याची मला जाणीव आहे.

सदर बाबीचा लाभ घेत असताना वा त्यानंतर माझेकडून गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्यास अथवा लाभांकित बाबीचा माझ्याकडून गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित घटकासाठी मिळालेले अनुदान माझ्याकडून सव्याज वसूल केले जाईल याची मला स्पष्ट जाणीव आहे.

प्रकल्पाचे अधिकारी आणि इतर प्राधिकृत व्यक्तींना घटक तपासणीसाठी माझी संमती आहे तसेच, त्यांना या तपासणी कामासाठी सहकार्य करेन.

वरील सर्व माहिती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

स्थळ:- (गावाचे नाव).....

दिनांक- / / २०--

अर्जदार शेतक-याची सही

^३ दारिद्र्य रेषेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही. तथापि ग्राम कृषि संजीवनी समिती लाभार्थी निवड करतवेळी अर्जदार दारिद्र्य

रेषेखालील असल्याबाबत खात्री करून अर्जाबाबत उचित निर्णय घेऊ शकेल .

प्रपत्र-१ (ब)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
शेतक-याने दयावयाचे हमी पत्र

लाभार्थीचे
पासपोर्ट साईज
छायाचित्र

मी -----रा.-----,ता.-----,जि.-----
दि. -----, रोजी-----या स. न. मधील ----- क्षेत्रावर----- पिकासाठी टिबक
सिंचन/तुषार सिंचन संचाच्या अनुदानासाठी अर्ज केलेला आहे. मला आपणाकडून पुर्वसंमती मिळालेली आहे.
त्यानुसार मी टिबक/तुषार संच बसविलेला आहे. व अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करत आहे.

मी सत्यप्रतिज्ञेवर प्रमाणीत करतो की,

- १) मी खालीलप्रमाणे कागदपत्र सोबत जोडलेली असून ती सर्व माहिती/कागदपत्रे बरोबर आहेत. याची सर्व जबाबदारी माझी राहिल.
 १. शेतक-यांचे हमीपत्र
 २. शेतक-याने केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची प्रत
 ३. ७/१२ उतारा (मालकी हककासाठी)
 ४. ८ अ उतारा (एकूण क्षेत्राच्या माहितीसाठी)
 ५. कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला सुक्ष्म सिंचन आराखडा व प्रमाणपत्र
 ६. बिलाची मुळ प्रत (टॅक्स ईनव्हाईस)
- २) सदर टिबक/तुषार सिंचनाच्या साठी आवश्यक असलेली सिंचनाची सोय: विहीर/कॅनाल /शेततळे/सामुदायिक सिंचन सुविधा/ माझ्याकडे उपलब्ध आहे.
- ३) टिबक/तुषार सिंचन संचासाठी आवश्यक असलेली उर्जा साधने पुढीलपैकी ----- पंप (विद्युत मोटर्स/डिझेल/सोलर) माझ्याकडे उपलब्ध असून अधिकृत विद्युत जोडणीची सुविधा माझ्याकडे उपलब्ध आहे.
- ४) ज्या क्षेत्रासाठी टिबक/तुषार अनुदानासाठी अर्ज केलेला आहे त्या क्षेत्रावर यापुर्वीच्या ७ वर्षांमध्ये मी शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून टिबक/तुषार संचाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नाही.
- ५) ज्या क्षेत्रासाठी टिबक /तुषार सिंचन संचाच्या अनुदानाची मागणी केलेली आहे त्यासह मी एकूण २ हे. क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी तसेच माझ्या एकूण जमीन धारणेपैकी (८-अ नुसार) जास्त क्षेत्रासाठी टिबक/तुषार सिंचन अनुदानाचा लाभ घेत नाही.
- ६) संयुक्त ७/१२ मध्ये इतर खातेदारांकडून काही वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी माझी राहिल.
- ७) बिलामध्ये नमूद सर्व साहित्य मला प्राप्त झाले असून ते योग्य दर्जाचे असल्याचे मी खात्री करून ते स्वीकारणार आहे.

- ८) अनुदान ठिबक/तुषार संचासाठी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ५ वर्षापर्यंत सदर संच सुस्थितीत ठेवण्याची व वापरात ठेवण्याची माझी जबाबदारी असुन मी त्यांची अथवा त्यातील कोणत्याही भागाची विक्री करणार नाही.
- ९) ठिबक/तुषार सिंचन संचाच्या उत्पादक कंपनीच्या इंजिनियरने करुन दयावयाच्या आराखडयासाठी आवश्यक कागदपत्रे/माहिती, उदा. माती, पाणी परिक्षण अहवाल, विद्युत मोटर /डिझेल इंजिन क्षमता, सिंचन सुविधेपासुन ठिबक/तुषार संचाचे अंतर, हेड, घ्यावयाचे/घेत असलेले पिक, पाणी उपलब्धता इ. सर्व तांत्रिक बाबींची माहिती त्यांना उपलब्ध करुन दयायची जबाबदारी माझी असुन त्याबाबत पूर्तता केल्यानंतर त्यानुसार त्यांनी आराखडा तयार करुन दिलेला आहे.
- १०) वितरकासोबत विहित नमुन्यातील करारनामा मी करुन घेतला असुन तो माझ्याकडे ठेवलेला आहे.

वरील सर्व माहिती मी सत्यप्रतिज्ञेवर प्रमाणित करुन देत आहे. सदर माहिती खोटी अरढळून आल्यास, भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि किंवा संबंधित कायदयानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहील याची मला पुर्ण जाणिव आहे.

तरी माझ्या अर्जाचा अनुदानासाठी विचार करावी हि विनती.

दिनांक:-----

सही/अंगठा:-----

स्थळ:-----

शेतक-यांचे नाव:-----

साक्षीदार -

१. स्वाक्षरी -

नांव -----, रा.-----, ता.-----, जि.-----

२. स्वाक्षरी -

नांव -----, रा.-----, ता.-----, जि.-----

प्रपत्र - २
(प्रकल्प स्थळ पाहणी व पात्रतेबाबत अभिप्राय-कृषि सहाय्यक)

श्री/श्रीमती-----मु. पो.-----ता.-----
जि.----- यांनी त्यांचे मालकीचे स.नं./गट नं. -----मधील एकूण क्षेत्र -----
---(हे. आर.) पैकी -----(हे. आर.) क्षेत्रावर नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन
(टिबक/तुषार सिंचन) या घटकासाठी अर्ज केलेला आहे. यापूर्वी सूक्ष्म सिंचन या घटकाचा इतर शासकीय
योजनेतून लाभ घेतलेला आहे/नाही. सदर अर्ज ग्राम कृषि संजीवनी समितीने (VCRMC) दिनांक -----रोजीच्या
बैठकीमध्ये मंजूर केलेला आहे. सदर लाभार्थी योजनेच्या निकषप्रमाणे पात्र आहे. दिनांक ----- रोजी
भेट देऊन प्रस्तावित प्रकल्प स्थळाची लाभार्थी समक्ष पाहणी केली असता घटकासाठी आवश्यक व तांत्रिक
निकषानुसार योग्य व आवश्यक क्षेत्र लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून प्रकल्प राबविण्यासाठी लाभार्थी सक्षम व पात्र
आहे.

| अ क्र. | बाब | तपशील |
|--------|---|---|
| १. | सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रस्तावित स्थळाचा सर्वे नं./गट नं. | |
| २. | लाभार्थीने मागणी केलेल्या सूक्ष्म सिंचनाचा प्रकार | १. टिबक सिंचन संच २. तुषार सिंचन संच |
| ३. | प्रस्तावित सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र (हे.) | |
| ५. | शेतामध्ये विहीर /बोअरवेल /इतर सिंचन सुविधा खाजगी रित्या उपलब्ध आहे काय? | होय /नाही |
| ६. | लाभार्थीने दाखविलेली जागा तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे काय? | होय /नाही |
| ७. | पिकाचे नाव | |
| ८. | क्षेत्राची प्रस्तावित परिगणना | लांबीX रुंदी |
| ९. | तांत्रिक दृष्ट्या पुढीलप्रमाणे एकूण क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनास शिफारस करण्यात येत आहे. |हेक्टर.....आर |

उपरोक्त लाभार्थ्याने अर्जासोबत सादर केलेल्या ८-अ मध्ये नमूद इतर गट नं./सर्वे नं. मध्ये पाहणी केलेली असून सदर गट नं./सर्वे नं. मध्ये यापूर्वी याच घटकाचा लाभ इतर शासकीय योजनेतून घेतलेला आहे/नाही.

असल्यास, घटकांतर्गत क्षेत्र गट नं./सर्वे नं.-----असून त्याचे क्षेत्र ----- हे. -----
-आर. आहे. सदर सूक्ष्म सिंचनासाठी (टिबक/तुषार सिंचन) -----
योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात आलेले आहे/नाही. वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन सदर लाभार्थ्यास पूर्वसंमती देणेस शिफारस करणेत येत आहे.

ठिकाण -
दिनांक -

(स्वाक्षरी)
कृषि सहाय्यक
नाव.....
सजा

(टीप-कृषि सहाय्यक यांनी मार्गदर्शक सूचनेतील जागा निवड या बाबतच्या सूचनांचा अवलंब करून उपरोक्त स्थळ तपासणी अहवाल शेताच्या नैऋत्य कोपऱ्यातील भौगोलिक चिन्हांकनासह (Geo-tagging) द्यावा.)

प्रपत्र -३
पूर्वसंमती पत्र

जा.क्र. _____
कार्यालय - उपविभागीय कृषि अधिकारी, _____
जिल्हा _____
दिनांक - ____/____/_____

प्रति,
श्री/श्रीमती _____

मु.पो. _____, तालूका, _____ जिल्हा _____

आपला दिनांक ____/____/२०__ रोजीचा अर्ज ग्राम कृषि संजीवनी समितीने (VCRMC) दि____/____/_____ रोजीच्या _____ क्रमांकाच्या ठरावाने मंजूर केला आहे. सदरबाबत कृषि सहाय्यक यांना दि. ____/____/____ रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन पूर्व संमती देणेबाबत शिफारस केलेली आहे. आपल्या अर्जानुसार, आपले नावावर ८-अ प्रमाणे _____ हे. क्षेत्र असून यापैकी सर्व्हे नं./गट नं. _____ मधील _____ हे. क्षेत्रावर _____ या पिकासाठी ना.दे.कृ.सं.प्र.सूक्ष्म सिंचन योजना २०१८-१९ मध्ये अनुदानावर ठिबक/तुषार संच बसविण्यासाठी पूर्वसंमती देण्यात येत आहे.

सन २०१८-१९ या वर्षासाठी मा. आयुक्त, कृषि यांनी मान्यता दिलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकापैकी आपल्या पसंतीनुसार कोणत्याही उत्पादकाकडून व कंपनी प्रतिनिधीने दिलेल्या आराखड्यानुसार संच बसविणे आवश्यक आहे. सदरचे पूर्वसंमतीपत्र दिल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या (६० दिवस) आत संच बसवून व तो कार्यान्वित करून अनुदान मागणीचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आपणास बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत संच न बसवल्यास पूर्वसंमती पत्र आपोआप रद्द समजण्यात येईल .

ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी आवश्यक साहित्य विहित तांत्रिक निकषाप्रमाणे व BIS मानांकित असेल तरच आपला प्रस्ताव अनुदानासाठी पात्र राहिल याची नोंद घ्यावी. आपला प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आपणास मार्गदर्शक सुचना व मंजूर मापदंडानुसार अनुज्ञेय अनुदान निधी उपलब्धतेनुसार मंजूर करण्यात येईल. तसेच सदरचे अनुदान आपल्या बँक खात्यावर DBT द्वारे जमा करण्यात येईल. आपल्या प्रकल्प प्रस्तावास मंजूरी देणे, देय अनुदानाची रक्कम/देय कालावधी इत्यादी बाबी ठरविण्याचा अंतिम अधिकार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प/शासनाचा राहिल.

उपविभागीय कृषि अधिकारी,

उपविभाग: _____

जिल्हा: _____

प्रपत्र -४ (अ)
लाभार्थी अनुदान मागणी पत्र- टिबक सिंचन

प्रती,

उपविभागीय कृषि अधिकारी,
उपविभाग _____
जिल्हा: _____

विषय :- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत देय अनुदान मिळणेबाबत.

मी श्री. / श्रीमती.....मु. पो.
..... ता..... जि..... आपणास मागणी करतो की, मला मिळालेल्या -----रोजीच्या
पूर्व संमतीनुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन या घटकांतर्गत टिबक सिंचन
उपघटकाचे काम आपण निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मार्गदर्शक सूचनेनुसार पूर्ण केले आहे.
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे;

खरेदी केलेल्या साहित्याचा तपशिल

| अ.क्र. | बाब | तपशिल | |
|--------|--|----------------|-------------|
| | | परिमाण /संख्या | किंमत (रु.) |
| १. | मेन (लांबी व्यास) | | |
| २. | सबमेन (लांबी व्यास) | | |
| ३. | लॅटरल-प्रकार लांबी (मी.) व्यास (मि.मी.) | | |
| ४. | ड्रिपर- ऑनलाईन असल्यास- संख्या इनलाईन असल्यास- संख्या | | |
| ५. | फिल्टर- स्क्रीन सॅन्ड | | |
| ६. | बायपास असेंब्ली | | |
| ७. | कंट्रोल फ्लश व्हॉल्व (संख्या) | | |
| ८. | प्रेसर गेज | | |
| | टिबक सिंचन संच एकूण खर्च (रु.) | | |
| ९. | उत्पादक कंपनीचे नाव | | |
| १०. | अधिकृत विक्रेत्याचे नाव व पत्ता | | |

सदर बाबत संबंधित कृषी सहाय्यक यांना अवगत केले आहे. तरी मला नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी
प्रकल्पांतर्गत टिबक सिंचन संच या घटकाच्या आर्थिक निकषानुसार देय अनुदान मिळावे. ही विनंती

दिनांक :

लाभार्थीची स्वाक्षरी/अंगठा

(नाव व पत्यासह)

सोबत - टिबक सिंचन संच खरेदी देयके

प्रपत्र -४ (ब)
लाभार्थी अनुदान मागणी पत्र- तुषार सिंचन

प्रती,

उपविभागीय कृषि अधिकारी,
उपविभाग _____
जिल्हा: _____

विषय :- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत देय अनुदान मिळणेबाबत.

मी श्री. / श्रीमती.....मु. पो.
..... ता..... जि..... आपणास मागणी करतो की, मला मिळालेल्या -----रोजीच्या
पूर्व संमतीनुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन या घटकांतर्गत तुषार सिंचन
उपघटकाचे काम आपण निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मार्गदर्शक सूचनेनुसार पूर्ण केले आहे.
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे;

खरेदी केलेल्या साहित्याचा तपशील

| अ.क्र. | बाब | तपशील | |
|--------|--|----------------|-------------|
| | | परिमाण /संख्या | किंमत (रु.) |
| १. | स्प्रिंकलर पाईप (६ मि. दाब २.५ कि/चौ.सें.मी. आयएस १४१५१ (पार्ट-१) (क्लास-२) १९९४ किंवा अॅल्युमिनियम पाईप मेन लाईन कपलरसह (आयएस-७०९२ प्रमाणे) | | |
| २. | नोजल/स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे किंवा अॅल्युमिनियम पाईप स्प्रिंकलर कपलरसह | | |
| ३. | रायझर पाईप (किमान २.५ फुट) रायझर क्विक कपलर | | |
| ४. | बॅंड (९० डिग्री) किंवा रायझर क्विक कपलर कनेक्टर | | |
| ५. | स्प्रिंकलर बेस बॅटन अॅक्सेसरीसह किंवा नोजल/ स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे | | |
| ६. | एन्ड प्लग | | |
| ७. | पंप कनेक्टिंग निपल/स्क्रूड कपलर | | |
| ८. | प्रेसर गेज | | |
| ९. | बॅंड (९० डिग्री) | | |
| १०. | मेटॅलीक सॅडल/बॅटन | | |
| | तुषार सिंचन संच एकूण खर्च (रु.) | | |
| ११. | उत्पादक कंपनीचे नाव | | |
| १२. | विक्रेत्याचे नाव व पत्ता | | |

सदर बाब संबंधित कृषी सहाय्यक यांना अवगत केले आहे. तरी मला नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत तुषार सिंचन संच या घटकाच्या आर्थिक निकषानुसार देय अनुदान मिळावे. ही विनंती

दिनांक :

लाभार्थीची स्वाक्षरी/अंगठा

(नाव व पत्यासह)

सोबत - १. तुषार सिंचन संच खरेदी देयके

प्रपत्र - ५ (अ)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
ठिबक सिंचन संच - मोका तपासणी प्रपत्र

| अ.क्र. | बाब | तपशील |
|--------|--|------------------|
| १. | शेतकऱ्याचे नाव | |
| २. | गावाचे नाव | |
| ३. | तालुका | |
| ४. | जिल्हा | |
| ५. | तपासणी दिनांक | |
| ६. | बाब | ठिबक सिंचन संच |
| ७. | पूर्वसंमती क्र. व दिनांक | |
| ८. | मंजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राचा सर्व्हे नंबर/गट क्र. | |
| ९. | ठिबक सिंचन बसविलेले क्षेत्र | -----हे.-----आर. |
| १०. | पिकाचे नाव | |
| ११. | जमिनीचा प्रकार (हलकी/मध्यम/भारी) | |
| १२. | ओलिताचे साधन (विहीर, लिफ्ट, कॅनॉल व नदी इ.) | |
| १३. | उत्पादकाचे नाव | |
| १४. | विक्रेत्याचे नाव व पत्ता | |
| १५. | सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार ठिबक सिंचन संच मांडणी व जोडणी मध्ये उणीवा आढळल्यास त्याचा थोडक्यात तपशील | |
| १६. | अनुदानाची गणना: (ठिबक सिंचन संच साहित्य, दर, अनुदान मर्यादा, देय अनुदान इ. बाबी विचारात घेऊन देय अनुदानाची शिफारस करावी.) एकूण मंजूर बाबींवरील खर्च - अनुदान मर्यादा (रु.)----- मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु.)----- तपासणीनुसार देय होणारी रक्कम (रु.)----- | |

ठिबक सिंचन संचातील मंजूर बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे ;

| अ. क्र. | बाब | बिलाप्रमाणे | | प्रत्यक्षात | |
|---------|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | बीआयएस/ सीएमएल नं./ ब्रॅन्ड नेम | मी./ संख्या | बीआयएस/ सीएमएल नं./ ब्रॅन्डनेम | मी./ संख्या |
| १ | पाण्याच्या स्रोतचे अंतर | -- | | -- | |
| २ | मेन - लांबी (मी.)..... व्यास (मि.मी.)..... | -- | | -- | |
| ३ | सबमेन - लांबी (मी.).....व्यास (मि.मी.)..... | -- | | -- | |
| ४ | लॅटरल - लांबी (मी.)..... | | | | |

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| | व्यास (मि.मी.)..... | | | | |
| ५ | ड्रीपर - ऑनलाईन असल्यास - संख्या इनलाईन असल्यास - ड्रीपर मधील अंतर.....(से.मी.) | | | | |
| ६ | फिल्टर - स्क्रीन - सॅन्ड - | | | | |
| ७ | बायपास असेंब्ली | -- | | -- | |
| ८ | कंट्रोल फ्लश व्हॉल्व्ह (संख्या)..... | -- | | -- | |
| ९ | ड्रीपरचा डीसचार्ज - अ) लॅटरलच्या सुरुवातीस ब) शेवटी एक तासापूर्वी व नंतर | -- | | -- | |
| १० | प्रेसर गेज दिला आहे काय? असल्यास दाब- समान/असमान | -- | | -- | |
| ११ | क्षेत्राची परिगणना - १. फळबाग पिके - दोन झाडातील अंतर (मी) X दोन ओळीतील अंतर (मी) x झाडांची संख्या = हेक्टर १०००० २. इतर पिके - दोन लॅटरल मधील अंतर (मी) X लॅटरल संख्या x लॅटरलची सरासरी लांबी (मी) = हेक्टर १०००० | | | | |
| १२ | विशेष शोरा - | | | | |

प्रमाणपत्र

मी -----कृषि सहाय्यक, सजा ----- ता. ----- जि. ----- प्रमाणीत करतो की, वरीलप्रमाणे मोका तपासणी केलेली असून, क्षेत्र परिस्थितीप्रमाणे बरोबर आहे. मार्गदर्शक सूचना, मंजूर मापदंड व प्रत्यक्ष शेतपरिस्थितीनुसार अनुदान रक्कम रु.----- अदा करणेसाठी शिफारस करणेत येत आहे.

स्वाक्षरी
(शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव)

स्वाक्षरी
(संपूर्ण नाव)
कृषि सहाय्यक

(टिप- सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास दयावी.)

प्रपत्र - ५ (ब)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
तुषार सिंचन संच - मोका तपासणी प्रपत्र

| अ.क्र. | बाब | तपशील |
|--------|--|------------------|
| १. | शेतकऱ्याचे नाव | |
| २. | गावाचे नाव | |
| ३. | तालुका | |
| ४. | जिल्हा | |
| ५. | तपासणी दिनांक | |
| ६. | बाब | तुषार सिंचन संच |
| ७. | पूर्वसंमती क्र. व दिनांक | |
| ८. | मंजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राचा सर्व्हे नंबर/गट क्र. | |
| ९. | तुषार सिंचना खालील क्षेत्र | -----हे.-----आर. |
| १०. | पिकाचे नाव | |
| ११. | जमिनीचा प्रकार (हलकी/मध्यम/भारी) | |
| १२. | ओलिताचे साधन (विहीर, लिफ्ट, कॅनॉल व नदी इ.) | |
| १३. | उत्पादकाचे नाव | |
| १४. | विक्रेत्याचे नाव व पत्ता | |
| १५. | सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार तुषार सिंचन संच मांडणी व जोडणी मध्ये उणीवा आढळल्यास त्याचा थोडक्यात तपशील | |
| १६. | अनुदानाची गणना: (तुषार सिंचन संच साहित्य, दर, अनुदान मर्यादा, देय अनुदान इ. बाबी विचारात घेऊन देय अनुदानाची शिफारस करावी.) मंजूर बाबीनुसार एकूण खर्च- अनुदान मर्यादा (रु.)----- मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु.)----- तपासणीनुसार देय होणारी रक्कम (रु.)----- | |

तुषार सिंचन संचातील मंजूर बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे ;

| अ.क्र. | बाब | सीएमएल नंबर | बिलाप्रमाणे | | प्रत्यक्षात | |
|--------|--|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | | परिमाण | संख्या | परिमाण | संख्या |
| १. | स्प्रिंकलर पाईप (६ मि. दाब २.५ कि/चौ.सें.मी. आयएस १४१५१ (पार्ट-१) (क्लास-२) १९९४ किंवा अॅल्युमिनियम पाईप मेन लाईन कपलरसह (आयएस-७०९२ प्रमाणे) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----|--|--|--|--|
| २. | नोज़ल / स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे किंवा अल्युमिनियम पाईप स्प्रिंकलर कपलरसह | | | | | |
| ३. | रायझर पाईप (किमान २.५ फुट) किंवा रायझर क्विक कपलर | | | | | |
| ४. | बॅंड (९० डिग्री) किंवा रायझर क्विक कपलर कनेक्टर | | | | | |
| ५. | स्प्रिंकलर बेस बॅटन अॅक्सेसरीसह किंवा नोज़ल/ स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे | | | | | |
| ६. | एन्ड प्लग | -- | | | | |
| ७. | पंप कनेक्टिंग निपल/स्कूड कपलर | -- | | | | |
| ८. | प्रेशर गेज | -- | | | | |
| ९. | बेन्ड (९० डिग्री) | -- | | | | |
| १०. | मेटॅलीक सॅडल/बॅटन | -- | | | | |
| ११. | तुषार सिंचन संचावर इंबॉसिंग केले आहे/नाही | | | | | |
| १२. | विशेष शेरा - | | | | | |

प्रमाणपत्र

मी----- कृषि सहाय्यक, सजा, ----- ता. ----- जि. ----- प्रमाणीत करतो की, वरीलप्रमाणे मोका तपासणी केलेली असून ती क्षेत्र परिस्थितीप्रमाणे बरोबर आहे. मार्गदर्शक सूचना, मंजूर मापदंड व प्रत्यक्ष शेतपरिस्थितीनुसार अनुदान रक्कम रु.----- अदा करणेसाठी शिफारस करणेत येत आहे.

स्वाक्षरी/अंगठा
(शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव)

स्वाक्षरी
(संपूर्ण नाव)
कृषि सहाय्यक

(टिप- सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास दयावी.)

प्रपत्र - ६
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
पर्यवेक्षीय तपासणी अहवाल

- तपासणीचा दिनांक :-
- तपासणी अधिका-याचे नाव व पदनाम :-
- शेतक-याचे नाव :- श्री./श्रीमती
- तपासणीच्या वेळी उपस्थित अधिकारी /कर्मचारी :-
- १. श्री. पदनाम-
- २. श्री. पदनाम-

| अ.क्र. | बाब | तपशिल |
|--------|--|-------|
| १ | लाभार्थी शेतक-याचे नाव- | |
| २ | गाव | |
| ३ | तालुका | |
| ४ | जिल्हा | |
| ६ | सुक्ष्म सिंचन संचाचा प्रकार- ठिबक सिंचन संच / तुषार सिंचन संच | |
| ७ | ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन संच बसविलेला सर्व्हे नंबर | |
| ८ | ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन संच बसविलेले क्षेत्र (हे.) | |
| ९ | ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संच बसविलेल्या क्षेत्राची (लांबी x रुंदी) मी. | |
| १० | ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संच बसविलेले वर्ष- | |
| ११ | ठिबक सिंचन संच असल्यास लॅटरल अंतर (मी xमी) | |
| १२ | तुषार सिंचन संच असल्यास पाईपचा व्यास मिमी ६३ /७५ /९० मिमी | |
| १३ | ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संच उत्पादक कंपनीचे नाव | |
| १४ | ठिबक सिंचन/तुषार सिंचन संच वितरकाचे नाव- | |
| १५ | ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संच उभारणीसाठी आलेला खर्च/ बिलाची रक्कम- | |
| १६ | ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संचासाठी लाभार्थी शेतक-यांस प्रस्तावित अनुदानाची रक्कम- | |
| १७ | सध्या घेतलेले पीक | |

प्रपत्र - ६ (अ)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
ठिबक सिंचन संच - पर्यवेक्षीय तपासणी अहवाल

| अ.क्र | बाब | बीआयएस/ सीएमएल नं./ ब्रॅड नेम | मी./संख्या |
|-------|---|-------------------------------|------------|
| १ | सबमेन - लांबी व व्यास | | |
| २ | लॅटरल - व्यास (मी.मी) व लांबी (मी.) | | |
| ३ | ड्रीपर - ऑनलाईन असल्यास संख्या इनलाईन लॅटरल असल्यास लांबी (मी.) | | |
| ४ | इनलाईनसाठी इनलाईन पाईप वर्ग | वर्ग-१/वर्ग-२/वर्ग-३ | |
| ५ | फिल्टर - स्क्रीन, सॅन्ड, डिस्क | | |
| ६ | बायपास असेंब्ली | लागू नाही | |
| ७ | कंट्रोल फ्लश व्हॉल्व्ह | लागू नाही | |
| ८ | ड्रीपरचा डीसचार्ज लॅटरलच्या सुरुवातीस व शेवटी एक तासापूर्वी व नंतर | लागू नाही | |
| ९ | लॅटरलमधील प्रेशर गेज दिला आहे काय? असल्यास दाब- समान/असमान | लागू नाही | |
| १० | लाभार्थी शेतक-याचे ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन संचाबाबतचे सर्वसाधारण अभिप्राय | | |
| ११ | ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन संचाबाबत तपासणी अधिका-याचे अभिप्राय | | |

प्रत्यक्ष शेतावर बसविलेले साहित्य तांत्रिक निकषानुसार योग्य दर्जाचे आहे. मार्गदर्शक सूचना, मापदंड व प्रत्यक्ष तपासणीनुसार श्री. -----यांना -----सर्व्हे नं. मधील -----हे. क्षेत्रासाठी अनुदान रक्कम रु. -----ची शिफारस करण्यात येत आहे.

तपासणी अधिकारी, श्री.
 पदनाम.
 (स्वाक्षरी)

इतर अधिकारी श्री.
 पदनाम.
 (स्वाक्षरी)

लाभार्थ्याची/ लाभार्थी प्रतिनिधीची स्वाक्षरी
 (नाव.....)

प्रपत्र - ६ (ब)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
तुषार सिंचन संच - पर्यवेक्षीय तपासणी अहवाल

| अ.क्र. | बाब | प्रत्यक्षात | |
|--------|--|-------------|--------|
| | | परिमाण | संख्या |
| १ | स्प्रिंकलर पाईप (६ मि. दाब २.५ कि/चौ.सें.मी. आयएस १४१५१ (पार्ट-१) (क्लास-२) १९९४ किंवा अॅल्युमिनियम पाईप मेन लाईन कपलरसह (आयएस-७०९२ प्रमाणे) | | |
| २ | नोजल / स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे किंवा अॅल्युमिनियम पाईप स्प्रिंकलर कपलरसह | | |
| ३ | रायझर पाईप (किमान २.५ फुट) किंवा रायझर क्विक कपलर | | |
| ४ | बॅंड (९० डिग्री) किंवा रायझर क्विक कपलर कनेक्टर | | |
| ५ | स्प्रिंकलर बेस बॅटन अॅक्सेसरीसह किंवा नोजल/ स्प्रिंकलर (गन मेटल) आयएस-१२२३२, पार्ट-१, १९८७ प्रमाणे | | |
| ६ | एन्ड प्लग | | |
| ७ | पंप कनेक्टींग निपल/स्कूड कपलर | | |
| ८ | प्रेसर गेज | | |
| ९ | बेन्ड (९० डिग्री) | | |
| १० | मेटॅलीक सॅडल/बॅटन | | |
| ११ | तुषार सिंचन संचावर इंबॉसिंग केले आहे / नाही | | |
| १२ | लाभार्थी शेतक-याचे टिबक सिंचन / तुषार सिंचन संचाबाबतचे सर्वसाधारण अभिप्राय | | |
| १३ | टिबक सिंचन/ तुषार सिंचन संचाबाबत तपासणी अधिका-याचे अभिप्राय | | |


प्रत्यक्ष शेतावर बसविलेले साहित्य तांत्रिक निकषानुसार योग्य दर्जाचे आहे. मार्गदर्शक सूचना, मापदंड व प्रत्यक्ष तपासणीनुसार श्री. -----यांना -----सर्व्हे नं. मधील -----हे. क्षेत्रासाठी अनुदान रक्कम रु. -----ची शिफारस करण्यात येत आहे.

तपासणी अधिकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)

इतर अधिकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)

लाभार्थ्याची/ लाभार्थी प्रतिनिधीची स्वाक्षरी
(नाव.....)

Annexure- I
संकल्प आराखडा व प्रमाणपत्र



कंपनीच्या प्रतिनिधीने संकल्प चित्रावर दयावयाचे प्रमाणपत्र

वरीलप्रमाणे संकल्पचित्र शेतक-यांने दिलेला पाणी परिक्षण अहवाल तसेच पाणी उपलब्धता, डिझेल/ विद्युत मोटरीची क्षमता, मातीचा प्रकार, घ्यावयाचे पीक, जमीनीचा चढउतार, पाण्याच्या सुविधेपासुन ठिबक/तुषार सिंचन संचाचे अंतर इ. माहितीच्या आधारे व प्रत्यक्ष पाहाणी करुन तयार केलेले आहे. ठिबक सिंचन संच व्यवस्थित चालण्याच्या दृष्टीने वरील संकल्प चित्र तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे.

सही :-----

(कंपनी प्रधिकृत इंजिनियर)

कंपनीचे नाव/शिक्का :-----

Annexure- II
ना.दे.कृ.सं. प्र. योजना - सूक्ष्म सिंचन
क्षेत्रीय तपासणी मासिक प्रगती अहवाल

| अ.क्र . | तपासणी अधिकार्याचे नाव व पदनाम | मापदंडा प्रमाणे क्षेत्रीय तपासणीचा तपशील | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|-----------------------|
| | | तपासणी लक्षांक | चालू महिन्यात तपासणी केलेले संच | | | प्रागतिक तपासणी केलेले संच | | | तपासणीची टक्केवारी |
| | | | ठिबक | तुषार | एकूण | ठिबक | तुषार | एकूण | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |

Annexure- III
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन सन -.....
मासिक प्रगती अहवाल

माहे- ,२०१८

जिल्हा-.....

| अ.क्र | बाब | उपविभाग | लक्ष | | साध्य | | शेरा |
|----------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------|
| | | | भौतिक (हेक्टर) | आर्थिक (रु. लक्ष) | भौतिक (हेक्टर) | आर्थिक (रु. लक्ष) | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | ठिबक संच | | | | | | |
| २ | तुषार संच | | | | | | |
| ३ | प्रशासकीय खर्च | | | | | | |
| जिल्हा एकूण | | | | | | | |

टीप- प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या डीपीआर मधील वार्षिक कृती आराखड्यातील सूक्ष्म सिंचन या बाबीखालील क्षेत्र भौतिक लक्षांक म्हणून घ्यावे. जेथे अद्याप सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया झालेली नाही अशा करिता उर्वरित निधी लक्षांक म्हणून घेण्यात यावा .

Annexure- IV a

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 0.4 ha
(ढलबक सलचन तंत्रज्ञान- ०.४ हेक्टर साठी प्रमाणलत नलरदेशांक बलल)

| अ.न. | घटक/लॅटरल ते लॅटरल x ड्रलपर अंतर (मी. X मी.) | एकक | १२ x १२ | १० x १० | ९ x ९ | ८ x ८ | ६ x ६ | ५ x ५ | ४ x ४ | ३ x ३ | २.५ x २.५ | २ x २ | १.५ x १.५ | २.५ x ०.६ | १.८ x ०.६ | १.२ x ०.६ |
|------|--|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | कंट्रोल युनलत | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | स्क्रीन फललटर १० मी ^३ प्रती तास | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २. | वेन्चुरी अँड मेनफोलड (१ १/२") | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ३. | एअर रललीज व्हॉल्व १" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ४. | नॉन रलटर्न व्हॉल्व-१.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ५. | बायपास असेंबली -१.५" x १.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| | फललड युनलत | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | पीव्हीसी पाईप ६३ मि.मी., क्लास-II; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
| ७. | पीव्हीसी पाईप ५० मि.मी., क्लास-III; ६ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ९६ | ६६ | ६६ | ६६ | ९६ | ९६ | ९६ |
| ८. | लॅटरल १६ मि.मी., क्लास-II; २.५ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १६१६ | २०२० | २६९३ | ३८ | ५३ | ७९ |
| ९. | इमललटलंग पाईप १२ मि.मी.; क्लास-II; (०.६ मी. x १ ते ४ ललटर प्रती तास) | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १६१६ | २२४५ | ३३६७ |
| १०. | लॅटरल १२ मि.मी., क्लास-II; २.५ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ३३९ | ४०६ | ४५२ | ५०८ | ६७७ | ८१३ | १०१६ | १३५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११. | इमललटर/ड्रलपर ४/८ ललटर प्रती तास | नंबर | ११३ | १६३ | २०१ | २५५ | ४५३ | ६५३ | ५१० | ९०७ | १२९३ | २०१० | १७९६ | ० | ० | ० |
| १२. | कंट्रोल व्हॉल्व ६३ मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | ० |
| १३. | कंट्रोल व्हॉल्व ५० मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १४. | फलश व्हॉल्व ६३ मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | ० |
| १५. | फलश व्हॉल्व ५० मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १६. | श्रोटल व्हॉल्व-२" | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| १७. | श्रोटल व्हॉल्व-१.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० |
| १८. | फललटलंग अँड असेंसरीज @ ५% | नग | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- IV b

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 1.0 ha
(ढलबक सलचन तंन्रङ्गान- १.० हेक्टर साठी प्रमाणलत नलरुदेशांक बलल)

| अ.न. | घटक/लुटरल ते लुटरल x डुरलपर अंतर (मी. X मी.) | एकक | १२ x १२ | १० x १० | ९ x ९ | ८ x ८ | ६ x ६ | ५ x ५ | ४ x ४ | ३ x ३ | २.५ x २.५ | २ x २ | १.५ x १.५ | २.५ x ०.६ | १.८ x ०.६ | १.२ x ०.६ |
|------|--|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | कंट्रुल युनलत | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | स्क्रलन फललटर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २. | वेन्चुरल अंड मेनफुलड (२") | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ३. | एअर रलललज वुलुव १" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ४. | नॉन रलटर्न वुलुव-१.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ५. | बायपास असंबुली -१.५" x १.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| | फलुड युनलत | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | पीवुहीसी पारुडप ७५ मल.मी., कलस-II; ४ कल.ग्रं./सेमी ^२ | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५४ | ५४ | ५४ | ५४ | ५४ | ५४ | ५४ |
| ७. | पीवुहीसी पारुडप ६३ मल.मी., कलस-III; ४ कल.ग्रं./सेमी ^२ | मीटर | ० | ० | ० | ० | ५४ | १५६ | १५६ | १०२ | १०२ | १०२ | १०२ | १०२ | १०२ | १०२ |
| ८. | पीवुहीसी पारुडप ५० मल.मी., कलस-III; ६ कल.ग्रं./सेमी ^२ | मीटर | १५६ | १५६ | १५६ | १५६ | १०२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ९. | लुटरल १६ मल.मी., कलस-II; २.५ कल.ग्रं./सेमी ^२ | मीटर | ८३३ | १००० | ११११ | १२५० | १६६७ | २००० | २५०० | ३३३३ | ४००० | ५००० | ६६६७ | ६० | ८३ | १२५ |
| १०. | इमललरलंग पारुडप १६ मल.मी.; कलस-II; (०.६ मी. x १ ते ४ ललटर प्रती तास) | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४०४० | ५६११ | ८४१७ |
| ११. | इमललरल/डुरलपर ४/८ ललटर प्रती तास | नंबर | २७८ | ४०० | ४९४ | ६२५ | ११११ | १६०० | १२७५ | २२६७ | ३२३२ | ५०५० | ४४८९ | ० | ० | ० |
| १२. | कंट्रुल वुलुव ७५ मल.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० |
| १३. | कंट्रुल वुलुव ६३ मल.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ |
| १४. | कंट्रुल वुलुव ५० मल.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | २ |
| १५. | फलश वुलुव ६३ मल.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ |
| १६. | फलश वुलुव ५० मल.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १७. | थुुल वुलुव-२" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १८. | फललरलंग अंड असुसरीज @ ५% | नग | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- IV c

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 2.0 ha
(ढिबक सिचन तंत्रज्ञान- २.० हेक्टर साठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| अ.न. | घटक/लॅटरल ते लॅटरल x ड्रिपर अंतर (मी. X मी.) | एकक | १२ x १२ | १० x १० | ९ x ९ | ८ x ८ | ६ x ६ | ५ x ५ | ४ x ४ | ३ x ३ | २.५ x २.५ | २ x २ | १.५ x १.५ | २.५ x ०.६ | १.८ x ०.६ | १.२ x ०.६ |
|------|---|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | कंट्रोल युनिट | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २. | वेन्चुरी अँड मेनफोल्ड (२") | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ३. | एअर रिलीज व्हॉल्व १" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ४. | नॉन रिटर्न व्हॉल्व-१.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ५. | बायपास असेंब्ली -१.५" x १.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| | फिल्ड युनिट | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | पीव्हीसी पाईप ७५ मि.मी., क्लास-II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ | ७८ |
| ७. | पीव्हीसी पाईप ६३ मि.मी., क्लास-III; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| ८. | लॅटरल १६ मि.मी., क्लास-II; २.५ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | १८५० | २१३० | २३५० | २६०० | ३५०० | ४२०० | ५२०० | ६९०० | ८२५० | ११००० | १४००० | १२० | १५० | २०० |
| ९. | इमिटिंग पाईप १६ मि.मी.; क्लास-II; (०.६ मि. x १ ते ४ लिटर प्रती तास) | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८२०० | ११५०० | १७००० |
| १०. | इमिटर/ड्रिपर ४/८ लिटर प्रती तास | नंबर | ६०० | ८०० | १००० | १३०० | २३०० | ३३०० | २६०० | ४८०० | ६६०० | १०४०० | ९००० | ० | ० | ० |
| ११. | कंट्रोल व्हॉल्व ७५ मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १२. | कंट्रोल व्हॉल्व ६३ मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | २ | २ | २ | २ |
| १३. | फलश व्हॉल्व ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ | २ |
| १४. | थ्रोटल व्हॉल्व-२" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १५. | फिटिंग अँड असेसरीज @ ५% | नग | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- V

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Portable Sprinkler Irrigation System

(चल तुषार सिंचन पद्धतीसाठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| ६३ मि.मी. कपलर वापरणे | | | | | |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| अ.नं. | घटक/ क्षेत्र (हे.) | एकक | ०.४ | १.० | २.० |
| १. | एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीसह (पाईपचा क्लास II; ३.२ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ आयएस :१४१५१ पार्ट II ६३ मि.मी. व्यास आणि ६ मी. लांब) | नंबर | १८ | ३० | ४१ |
| २. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. पाईप ६३ मि.मी. फुट बॅटन असेंब्ली | नंबर | ३ | ५ | ९ |
| ३. | जी आय रायजर पाईप ३/४" व्यास x ७५ सेंमी लांब | नंबर | ३ | ५ | ९ |
| ४. | स्प्रिंकलर असेंब्ली | नंबर | ३ | ५ | ९ |
| ५. | ९०° कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० मि.मी.) | नंबर | १ | १ | १ |
| ६. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा निपल ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ |
| ७. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लग (६३ मि.मी.) | नंबर | १ | २ | २ |
| ८. | कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. टी (६३ मि.मी.) | नंबर | १ | १ | १ |
| ७५ मि.मी. कपलर वापरणे | | | | | |
| अ.नं. | घटक/ क्षेत्र (हे.) | एकक | ०.४ | १.० | २.० |
| १. | एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीसह (पाईपचा क्लास I; २.५ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ आय एस :१४१५१ पार्ट II ७५ मि.मी. व्यास आणि ६ मी. लांब) | नंबर | लागू नाही | ३० | ४१ |
| २. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. पाईप ७५ मि.मी. फुट बॅटन असेंब्ली | नंबर | लागू नाही | ५ | ९ |
| ३. | जी आय रायजर पाईप ३/४" व्यास x ७५ सेंमी लांब | नंबर | लागू नाही | ५ | ९ |
| ४. | स्प्रिंकलर नोजल (१.७ ते २.८ कि.ग्रॅ./सेमी ^२); आय एस:१२२३२ पार्ट I ब्रास | नंबर | लागू नाही | ५ | ९ |
| ५. | ९०° कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (७५ मि.मी.) | नंबर | लागू नाही | १ | १ |
| ६. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा निपल ७५ मि.मी. | नंबर | लागू नाही | १ | १ |
| ७. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लग (७५ मि.मी.) | नंबर | लागू नाही | २ | २ |
| ८. | कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. टी (७५ मि.मी.) | नंबर | लागू नाही | १ | १ |

Annexure- VI

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Micro Sprinkler Irrigation System

(मायक्रो तुषार सिंचन पद्धतीसाठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| अ.नं. | घटक/क्षेत्र (हे.) | युनिट | ५ मी. X ५ मी. | | | ३ मी. x ३ मी. | | |
|-------|--|-------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | | | ०.४ | १.० | २.० | ०.४ | १.० | २.० |
| १. | पी.व्ही.सी. पाईप ९० मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २. | पी.व्ही.सी. पाईप ७५ मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ३० | ५४ | ८० | ३० | ५४ | १०० |
| ३. | पी.व्ही.सी. पाईप ६३ मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ६६ | १०२ | १५० | ६६ | १०२ | १५० |
| ४. | २० मि.मी. एल एल डी पी ई प्लेन लॅटरल, क्लास II; २.५ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ० | २००० | ४००० | ० | ३३५० | ६६६० |
| ५. | लॅटरल १६ मि.मी., क्लास II; २.५ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | मीटर | ८०० | ० | ० | १३३६ | ० | ० |
| ६. | मायक्रो स्प्रींकलर सेट | नंबर | १६० | ४०० | ८०० | ४४४ | ११११ | २२२२ |
| ७. | कंट्रोल व्हॉल्व- ९० मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ८. | कंट्रोल व्हॉल्व- ७५ मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ९. | कंट्रोल व्हॉल्व- ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | ४ | १ | १ | ४ |
| १०. | फ्लश व्हॉल्व- ७५ मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११. | फ्लश व्हॉल्व- ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १२. | फ्लश व्हॉल्व- ५० मि.मी. | नंबर | २ | ० | ० | ० | ० | ० |
| १३. | एअर रिलीज व्हॉल्व-१" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १४. | नॉन रिटर्न व्हॉल्व-२" | नंबर | १ | १ | ० | १ | १ | १ |
| १५. | नॉन रिटर्न व्हॉल्व-२.५" | नंबर | ० | ० | १ | ० | ० | ० |
| १६. | थ्रोटल व्हॉल्व-२" | नंबर | १ | १ | ० | १ | १ | १ |
| १७. | थ्रोटल व्हॉल्व-२.५" | नंबर | ० | ० | १ | ० | ० | ० |
| १८. | स्क्रीन फिल्टर ३० मी ^३ प्रती तास | नंबर | ० | १ | १ | ० | १ | १ |
| १९. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | नंबर | १ | ० | ० | १ | ० | ० |
| २०. | बायपास असेंब्ली-२.५" x २" | नंबर | ० | ० | १ | ० | ० | ० |
| २१. | बायपास असेंब्ली-२" x १.५" | नंबर | १ | १ | ० | १ | १ | १ |
| २२. | वेन्चुरी अँड मेनफोल्ड -२" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २३. | फिटिंग अँड असेसरीज @ ५% | | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- VII

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Mini Sprinkler Irrigation System

(मिनी तुषार सिंचन पद्धतीसाठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| अ.नं. | घटक/क्षेत्र (हे.) | १० मी. x १० मी. | | | ८ मी. x ८ मी. | | | |
|-------|--|-----------------|-----|------|---------------|-----|------|------|
| | | युनिट | ०.४ | १.० | २.० | ०.४ | १.० | २.० |
| १. | पी.व्ही.सी. पाईप ९० मि.मी. क्लास - ॥; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ० | ० | ८० | ० | ० | ८० |
| २. | पी.व्ही.सी. पाईप ७५ मि.मी. क्लास - ॥; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ३० | ६० | १५० | ३० | ६० | १५० |
| ३. | पी.व्ही.सी. पाईप ६३ मि.मी. क्लास - ॥; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ६६ | ११० | ० | ६६ | ११० | ० |
| ४. | ३२ मि.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन लॅटरल, क्लास ॥; २.५ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ | मीटर | ४०० | १००० | २००० | ५०० | १२५० | २५०० |
| ५. | मिनी स्प्रींकलर सेट | नंबर | ४० | १०० | २२० | ६३ | १५६ | ३१२ |
| ६. | एम एस रायजर रॉड आणि असेंब्ली | नंबर | ४० | १०० | २२० | ६३ | १५६ | ३१३ |
| ७. | कंट्रोल व्हॉल्व- ९० मि.मी. | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ८. | कंट्रोल व्हॉल्व- ७५ मि.मी. | नंबर | ० | १ | १ | ० | १ | २ |
| ९. | कंट्रोल व्हॉल्व- ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | २ | १ | १ | २ |
| १०. | कंट्रोल व्हॉल्व- ३२ मि.मी. | नंबर | ० | २० | ३४ | ० | २४ | ३६ |
| ११. | फ्लश व्हॉल्व- ७५ मि.मी. | नंबर | ० | ० | १ | ० | १ | २ |
| १२. | फ्लश व्हॉल्व- ६३ मि.मी. | नंबर | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| १३. | एअर रिलीज व्हॉल्व-१" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| १४. | नॉन रिटर्न व्हॉल्व-२.५" | नंबर | ० | १ | १ | ० | १ | १ |
| १५. | नॉन रिटर्न व्हॉल्व-२" | नंबर | १ | ० | ० | १ | ० | ० |
| १६. | थ्रोटल व्हॉल्व-३" | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १७. | थ्रोटल व्हॉल्व-२.५" | नंबर | ० | १ | १ | ० | १ | १ |
| १८. | थ्रोटल व्हॉल्व-२" | नंबर | १ | ० | ० | १ | ० | ० |
| १९. | स्क्रीन फिल्टर ३० मी ^३ प्रती तास | नंबर | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| २०. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | नंबर | १ | १ | ० | १ | १ | ० |
| २१. | बायपास असेंब्ली-२" x १.५" | नंबर | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २२. | बायपास असेंब्ली-१.५" x १.५" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २३. | वेन्चुरी अँड मेनफोल्ड -२" | नंबर | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| २४. | फिटिंग अँड असेसरीज @ ५% | | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- VIII**Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Semi Permanent Sprinkler Irrigation System**
(सेमी पर्मानेंट तुषार सिंचन पद्धतीसाठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| अ.नं. | घटक/क्षेत्र (हे.) | ०.४ | १.० | २.० |
|-------|---|-----|-----|------|
| १. | पी.व्ही.सी. पाईप ९० मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | ० | ० | ० |
| २. | पी.व्ही.सी. पाईप ७५ मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | ० | ० | ११० |
| ३. | पी.व्ही.सी. पाईप ६३ मि.मी. क्लास -II; ४ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | ९६ | १५४ | २७३ |
| ४. | पी.व्ही.सी. पाईप २५ मि.मी. क्लास -V; १० कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | ३५० | ९५० | १९०४ |
| ५. | ३२ मि.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन लॉटरल, क्लास II; २.५ कि.ग्रॅ./सेमी ^२ | ० | ० | ० |
| ६. | कंट्रोल व्हॉल्व- ६३ मि.मी. | १ | १ | २ |
| ७. | बायपास असेंब्ली-२.५" x २" | १ | १ | १ |
| ८. | कंट्रोल व्हॉल्व- २५ मि.मी. | १२ | २० | ४२ |
| ९. | स्प्रिंकलर असेंब्ली | १२ | १२ | १२ |
| १०. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | १ | १ | १ |
| ११. | फिटिंग अँड असेसरीज @ ५% | ५% | ५% | ५% |

Annexure- IX

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Large Volume (Rain-gun) Sprinkler Irrigation System

(लार्ज व्हालूम तुषार सिंचन- "रेनगन" पद्धतीसाठी प्रमाणित निर्देशांक बिल)

| ६३ मि.मी. कपलर वापरणे | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|
| अ.नं. | घटक/ क्षेत्र (हे.) | १.० | २.० |
| १. | एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीसह (पाईपचा क्लास III; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ आय एस :१४१५१ पार्ट II ६३ मि.मी. व्यास आणि ६ मी. लांब) | ३० | लागू नाही |
| २. | रेनगन स्प्रिंकलर १.२५" फिमेल थ्रेडेड कनेक्शन | १ | लागू नाही |
| ३. | फिडर लाईन साठी अॅडाप्टरसह ट्रायपॉड स्टँड १.२५" x १.५ मि. | १ | लागू नाही |
| ४. | ९०° कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० मि.मी.) | १ | लागू नाही |
| ५. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा निपल ६३ मि.मी. | १ | लागू नाही |
| ६. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लग (६३ मि.मी.) | १ | लागू नाही |
| ७. | कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. टी (६३ मि.मी.) | १ | लागू नाही |
| ८. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | १ | लागू नाही |
| ९. | बायपास असेंब्ली-२" x १.५" | १ | लागू नाही |
| ७५ मि.मी. कपलर वापरणे | | | |
| अ.नं. | घटक/ क्षेत्र (हे.) | १.० | २.० |
| १. | एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीसह (पाईपचा क्लास III; ४ कि.ग्रॅ./सेंमी ^२ आय एस :१४१५१ पार्ट II ७५ मि.मी. व्यास आणि ६ मी. लांब) | ३० | ४२ |
| २. | रेनगन स्प्रिंकलर १.२५" फिमेल थ्रेडेड कनेक्शन | १ | १ |
| ३. | फिडर लाईन साठी अॅडाप्टरसह ट्रायपॉड स्टँड १.२५" x १.५ मि. | १ | १ |
| ४. | ९०° कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (७५ मि.मी.) | १ | १ |
| ५. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा निपल ७५ मि.मी. | १ | १ |
| ६. | जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लग (७५ मि.मी.) | १ | १ |
| ७. | कपलर बरोबर जलद जोडणीसह एच.डी.पी.ई. टी (७५ मि.मी.) | १ | १ |
| ८. | स्क्रीन फिल्टर २०/२५ मी ^३ प्रती तास | १ | १ |
| ९. | बायपास असेंब्ली-२" x १.५" | १ | १ |

Annexure- X
Water Quality Criteria in Relation to Clogging
(क्लॉगिंगच्या संबंधात पाणी गुणवत्ता निकष)

टिबकद्वारे सिंचनासाठी पाणी गुणवत्तेचे निकष पारंपारिक वापरातील सिंचनापेक्षा वेगळे आहेत. पाण्याच्या वेगवेगळ्या गुणधर्मांबरोबर क्लॉगिंगचे धोके खालीप्रमाणे दिले आहेत. सिंचन पाण्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावर क्लॉगिंगचा विस्तार;

| पाणी गुणवत्ता | क्लॉगिंगचा धोका | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| | किंचित | मध्यम | गंभीर |
| सस्पेंडेड सोलीड्स (पी.पी.एम.) | <५० | ५०-१०० | >१०० |
| पी. एच. | <७.० | ७.०-८.० | >८.० |
| टि.डि.एस. (पी.पी.एम.) | <५०० | ५००-२००० | >२००० |
| मॅगनीज (पी.पी.एम.) | <०.१ | ०.१-१.५ | >१.५ |
| लोह (पी.पी.एम.) | <०.१ | ०.१-१.५ | >१.५ |
| कॅल्शियम व मॅग्नेशियम (पी.पी.एम.) | <२० | २०-४० | >४० |
| हायड्रोजन सल्फाइड (पी.पी.एम.) | <०.५ | ०.५-२.० | >२.० |
| जीवाणूंची संख्या (नं./एम.एल.) | <१०००० | १००००-५०००० | >५०००० |

संदर्भ: Dasberg and Dani, 1999

Annexure- XI
Guidelines for Selection of Filter
 (फिल्टर निवड करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे)

| पाणी गुणवत्ता | फिल्टरचा प्रकार | शेरा |
|---|---|---|
| कोणतीही भौतिक आणि जैविक अशुद्धता विरहित योग्य | स्क्रीन | स्क्रीन फिल्टर हॉल केवळ तेव्हाच सूचित केले जाईल जेव्हा फिल्टरची भौतिक अशुद्धतेची दिवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा साफसफाई करण्याची गरज नाही. |
| जड भौतिक आणि जैविक दोष असलेले जल स्रोत. | केवळ स्क्रीन फिल्टर पुरेसा नाही. | जल अशुद्धतेच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त फिल्टर आवश्यक आहे. |
| वाळू आणि इतर जड कण असलेले जल स्रोत. | हायड्रो सायक्लोन विभाजक किंवा प्रवाह क्षमतेला जुळणारा हायड्रो सायक्लोन. | हायड्रो सायक्लोननंतर डिस्क/स्क्रीन फिल्टर प्रदान केला जाईल. |
| जड जैविक अशुद्धता असलेले जलस्रोत जसे की शैवाल, कचरा आणि इतर मलबे इ. | मिडिया/वाळू फिल्टर | मिडिया फिल्टर नंतर डिस्क/स्क्रीन फिल्टर प्रदान करावा. |
| जड वाळू आणि इतर जैविक अशुद्धता असलेले जल स्रोत जसे की शेवाळ (Algae) आणि कचरा इ. | वाळू फिल्टर नंतर हायड्रो सायक्लोनचे संयोजन | वाळू फिल्टर नंतर स्क्रीन/डिस्क फिल्टर असावे. |

Annexure- XII
List of BIS Standards

| S.No. | Component Description | BIS |
|--------------|---|---|
| 1 | Polyethylene pipes for irrigation-Laterals with amendment number 6 | IS 12786:1989 (reaffirmed 2009) |
| 2 | Irrigation equipment-Emitters-Specification | IS 13487:1992 (reaffirmed 2009) |
| 3 | Irrigation equipment-Emitting pipes system-Specification (first revision) | IS 13488:2008 (reaffirmed 2014) |
| 4 | Irrigation equipment-Strainer type filters Specification (first revision) | IS 12785:1994 (reaffirmed 2011) |
| 5 | Irrigation equipment rotating sprinkler Part I, Design and Operational requirements (1 st revision) | IS 12232 (Part I)-1996 (reaffirmed 2011) |
| 6 | Irrigation equipment rotating sprinkler Part 2, Test method for uniformity of distribution (1 st revision) | S 12232 (Part 2)-1995 (reaffirmed 2011) |
| 7 | Fertilizer and chemicals injection system Part I Venturi Injector | IS 14483 (Part I) 1997 (reaffirmed 2009) |
| 8 | Irrigation equipment-Media filters -Specification | IS 14606: 1998 (reaffirmed 2009) |
| 9 | Irrigation equipment-Hydro cyclone filter-Specification | IS 14743:1999 (reaffirmed 2009) |
| 10 | Unplasticized PVC pipes for portable water supplies-Specification (Third revision) | IS 4985-2000 |
| 11 | Irrigation equipment-sprinkler pipes-Specifications Part II Quick Coupled Polyethylene pipes and fittings (second revision) | IS 14151 (Part II) 2008 (reaffirmed 2014) |
| 12 | High density polyethylene pipes for water supply-Specification (fourth revision) | IS 4984:1995 (reaffirmed 2002) |
| 13 | Fertilizer & Chemical Injector System-Part 3 fertilizer Tank | IS:14483 Part 3-2016 |

Source: Online catalogue of Bureau of Indian Standards

